न्यायालय अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अशोक सांगवा, आर.ए.एस.

अपील सं. 49/2025
जी.सी.एम.एस. नं.: 2023/6

1. सुमन कंवर पुत्री प्रहलादसिंह पत्नी श्रवनसिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. सन्जू कंवर पुत्री प्रहलादसिंह पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी लाधडिया तहसील व जिला चुरू

– अपीलार्थी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील गुढा गौडजी जिला झुझुंनू
2. भवानीसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील गुढा गौडजी जिला झुझुंनू
3. शक्तिसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील गुढा गौडजी जिला झुझुंनू
4. मंजू कंवर पुत्री प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी पड़ोराम बस्ती वार्ड नं.–14 वीर छापर रूरल, चुरू जिला चुरू
5. स्टेट ऑफ राज. जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री इन्द्राज कस्वॉ, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **श्री जुल्फिकार खां, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 3**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06.05.2025

संक्षेप में अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 द्वारा कृषि भूमि चक 31 एपीडी ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. –19 पत्थर सं.–332/403 के 6.325 हैक्टर व मुरब्बा नं.–29 प.सं.–332/404 के 6.325 हैक्टर कुल 12.650 हैक्टर में से 37/105 हिस्सा संयुक्त रूप से अपीलांट की माता भवंर कंवर की माता के नाम से दर्ज भूमि का रेस्पोंडेंटस संख्या–05 के द्वारा इंतकाल आदेश दिनांक–14.05.2025 के आधार पर रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 4 के नाम से दर्ज करने के आदेश पारित किये गये से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।
2. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की माता भवंर कवंर पत्नी प्रहलादसिंह के नाम से संयुक्त खाता में चक 31 एपीडी ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–19 पत्थर सं.–332/403 के 6.325 हैक्टर व मुरब्बा नं.–29 प.सं.–332/404 के 6.325 हैक्टर कुल 12.650 हैक्टर में से 37/105 हिस्सा संयुक्त रूप से अपीलांट की माता भवंर कंवर की माता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज थी। अपीलांटस की माता भवंर कंवर का देहांत दिनांक 05.02.2024 को हो चुका है माता के देहांत के उपरांत अपीलांटस व रेस्पोडेंटस सं.–1ता4 कुल 06 विधिक वारिसान है उक्त कृषि भूमि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस सं.–1ता4 का बहिस्सा बराबर विरास्तन अधिकार के तहत हुई है जिसमें अपीलांटस प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है एवं रेस्पोडेंटस सं.–1ता4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है जो स्व. भंवर कंवर के देहांत उपरांत अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस सं.–1ता4 के संयुक्त अधिकार एवं

अधिपत्य मे चली आ रही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भू. राजस्व अधिनियम राज. काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर तथाकथित वसीयत दिनांक 10.01.2024 के आधार पर आलौच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है। आलौच्य इंतकाल आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक भवंर कवंर के वारिसान को सुनवाई का कोई समूचित अवसर नही दिया और ना ही सुनवाई हेतु विधिवत कोई पूर्व नोटिस ही दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या–01 द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक10. 01.2024 की अपने पक्ष में बताई है जबकि अपीलाधीन कृषि भूमि की तथाकथित वसीयत करने में भंवर कवंर सक्षम ही नही थी। अपीलांटस की माता भवंर कंवर 70 वर्ष की वृद्ध एवं समाज के रिति रिवाज अनुसार पर्दानशील औरत थी। भवंर कवंर मृत्यु से पूर्व करीब 6 माह से कैंसर जैसे आसाध्य रोग से अत्यंत पिडित होने के शारिरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक क्षीण हो चुकी थी एवं अपना भला बुरा सोचने विचारने की शक्ति नही रखती थी। रेस्पोडेंट संख्या–1ता3 ने अपने नाम तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित तैयार करवाई जो कि एक अवास्तविक एंव मिथ्या दस्तावेज है।

3. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का 1/6 विरास्तन हिस्सा होने का कथन करते हुए वसीयत के आधार पर रेस्पो. के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किये जाने के कारण अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील के दर्ज रजिस्टर के आदेश पारित किये गये थे। रेस्पो. के द्वारा अपीलार्थी के मृतक भंवर कंवर के वारिस होने के संबंध में किसी प्रकार का एतराज नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील ग्रहण की जाती है। अपीलार्थी के द्वारा अपील पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इसी प्रकार रेस्पोंडेंट जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) एवं धारा 151 सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी जरिए अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्रों पर बहस पर मनन किया। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलार्थी के पक्ष को सुने जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना उचित है। रेस्पोंडेंटस के द्वारा न्यायालय आदेशों के निर्णयों/आदेशिकाओं की प्रतियां आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जो कि अपीलाधीन भूमि से संबंधित होने के कारण प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय हेतु अवलोकनीय है। अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता है।

4. अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के माध्यम से मुख्यतः कथन किया गया है कि अपीलाधीन भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की माता भंवर कंवर के नाम से थी। आलौच्य आदेश वसीयत दिनांक 10.01.2024 के आधार पर पारित किया गया हैं, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि वसीयत रेस्पों. सं. 1 से 3 द्वारा फर्जी एवं कूटरचित तैयार करवाई है, वसीयत करने में भंवर कंवर सक्षम ही नहीं थी तथा असाध्य रोग कैंसर से पीड़ित होने के कारण

चलने फिरने में असमर्थ थी। अपीलाधीन भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी सं. 1से4 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा विरास्तन प्राप्त होनी थी। आलौच्य आदेश तथाकथित वसीयत के आधार पर पारित किया गया है जो कि अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई के अवसर दिए पारित किया गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण का कथन किया गया है कि वसीयत पंजीबद्ध दस्तावेज है जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है आलौच्य आदेश पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाए पारित किया गया है। अपील सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

5. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों. सं. 1 से 3 के द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का से जांच करवा वसीयत के गवाहान के शपथ पत्र एवं प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर तथा सार्वजनिक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवा आपत्तियां आमंत्रित कर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर न्यायालय का पूर्णतया समाधान हो जाने पर आलौच्य आदेश दिनांक 14.05.2024 पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त आलौच्य आदेश जिस वसीयत पत्र के आधार पर पारित किया गया है वह एक पंजीबद्ध दस्तावेज है जो कि उप पंजीयक उदयपुरवाटी से दिनांक 10.01.2024 को पंजीबद्ध है। अपीलार्थी द्वारा उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कर दिया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा बिना किसी दस्तावेज अथवा सक्षम न्यायालय के निर्णय के अभाव मात्र यह कथन करना कि वसीयत एक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है, स्वीकार्य नहीं है।

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया गया हैं। अतः न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानता हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक सांगवा) आर ए एस
अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़